न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

// विविध संशोधित आदेश //
(दांडिक कार्य वितरण के संबंध में)

क्रमांक–क्यू/मु.न्या.मजि./2026 **अम्बिकापुर, दिनांक–15.10.2026**

मैं **पल्लव रघुवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन दिनांक 07.08.2026 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

भारत सरकार के राजपत्र भाग ॥ खण्ड 1 पार्ट–॥ section में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06.08.2026 एवं भारत के असाधारण राजपत्र भाग ॥ खण्ड–3 उपखण्ड (॥) प्रकाशन दिनांक 16.09.2026 के तारतम्य में गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय) द्वारा जारी अधिसूचना के प्रकाश में केन्द्रीय सरकार, द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 (2026 का 12) की धारा–1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन को दिनांक 01 अक्टूबर 2026 में लागू किया गया है तथा उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में छ०ग० शासन महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक–STAT–45014/40/2025/23 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 28.09.2026 द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम (संशोधित) 2026 के द्वारा संशोधन को समस्त विभाग को संशोधन अधिनियम की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप राजस्व जिला सरगुजा के अन्तर्गत समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिनके अधीन आबंटित आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता है, वे अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रकरणों का उक्त प्रावधान के अनुसरण में आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारिता से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 07.08.2026 में उल्लेखित आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

सही/–
(पल्लव रघुवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक–क्यू/मु.न्या.मजि./2026 अम्बिकापुर, दिनांक–15.10.2026

प्रतिलिपिः–

1/– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) को सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।
2/– संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3/– सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ ।
4/– सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।
5/– सचिव, अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को सूचनार्थ।
6/– अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय अंबिकापुर को सूचनार्थ ।
7/– पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर/सरगुजा जिले के समस्त थाना एवं चौकी को सूचनार्थ ।
8/– प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, सरगुजा–अंबिकापुर ।
9/– प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर को सूचनार्थ ।

(पल्लव रघुवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, (छ.ग.)